

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-21102022-239797
SG-DL-E-21102022-239797

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 20, 2022/आश्विन 28, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 306
No. 470]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 20, 2022/ASVINA 28, 1944	[N. C. T. D. No. 306

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-11) विभाग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2022

सं. फा. 8/157/2022/गृह पुलिस -II/2421-2434.—लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा श्री वी०के० ओझा , वरिष्ठ लोक अभियोजक तथा श्री तेजविन्दर सिंह ,लोक अभियोजक, सीबीआई, एसीबी नई दिल्ली को माननीय विशेष न्यायाधीश के न्यायालय, पोस्को , कड़कड़डूमा , पूर्व दिल्ली के समक्ष मामला आरसी- 39 (ए) /2021 सहित सीबीआई द्वारा जांच किए गए मामलों में मुकद्दमें के संचालन हेतु लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पोस्को अधिनियम) की धारा 32 के अन्तर्गत विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं ।

यह माननीय उपराज्यपाल दिल्ली , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
राजन भटनागर, उप-सचिव (गृह-II)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th October, 2022

No. F. 8/157/2022/HP-II/2421 to 2434.—In exercise of the powers conferred by Section 32 of Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Sh. V.K. Ojha, Sr. PP and Sh. Tajvinder Singh, PP, CBI, ACB, New Delhi as Special Public Prosecutors u/s 32 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO Act) for conducting trial in CBI investigated cases including case RC-39(A)/2021 before the Hon'ble Court of Special Judge, POCSO, Karkardooma Courts, East Delhi.

This issues with the approval of Hon'ble Lt. Governor, Delhi, GNCT of Delhi.

By order and in the name of
the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi
RAJAN BHATNAGAR, Dy. Secretary (Home-II)